कला एवं संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड।
आउटकम बजट प्रारूप 2017–18

(आउट ले की धनराशि ₹ लाख में)

योजना का नाम	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
	राजस्व	पूंजीगत				
अनुदान संख्या–11 राज्य सेक्टर 2205–कला एवं संस्कृति– 00–001– निदेशन तथा प्रशासन 03–सांस्कृतिक कार्य निदेशालय	620.29	–	निदेशालय का अधिष्ठान व्यय वर्षभर विभिन्न पारम्परिक मेलों, त्योहारों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। राज्य स्थापना दिवस, रामनगर महोत्सव, भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। प्रदेश से इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।	1 वर्ष	प्रदेश की अमूर्त व लुप्तप्रायः लोक संस्कृति से जनमानस को रू–ब–रू कराना व राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना। कला संस्कृति से जुड़े लगभग 250 पंजीकृत दलों को रोजगार उपलब्ध कराने में योजना सहायक होगी।	1 वर्ष
04–कलाकार कल्याण कोष	70.00	–	लोक कलाकारों की दुर्घटना आदि से आकस्मिक मृत्यु/ गम्भीर रूप से घायल तथा दैवीय आपदा में भवन क्षतिग्रस्त/ ध्वस्त होने की दशा में आर्थिक सहायता।	1 वर्ष	पंजीकृत लोक कलाकारों की दुर्घटना आदि से आकस्मिक मृत्यु/गम्भीर रूप से घायल तथा दैवीय आपदा में भवन क्षतिग्रस्त/ध्वस्त होने की दशा में प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर आउटकम निर्भर है।	1 वर्ष
05–धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला अधिष्ठान	75.40	–	अधिष्ठान व्यय पौराणिक, धार्मिक, तीर्थों, धरोहरों का रख–रखाव।	1 वर्ष	पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक व्यापारिक मेलों का व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार।	1 वर्ष
101–ललित कला शिक्षा–03–भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय	253.96	–	शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मियों का अधिष्ठान व्यय 625 छात्र–छात्राओं को शास्त्रीय संगीत (गायन, कत्थक, सितार, तबला, लोक नृत्य) की मानक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य।	1 वर्ष	महाविद्यालय द्वारा विभिन्न विधाओं में प्रदान की जाने वाली शास्त्रीय संगीत से उत्कृष्ट कलाकार, शास्त्रीय संगीतज्ञ एवं योग्य संगीत शिक्षक तैयार किये जाते हैं।	6 वर्ष
03–स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनुदान	40.00	–	प्रदेश की संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा भावी पीढ़ी के लिये संजोए रखने के लिये इस कार्य से जुड़े 40 गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	1 वर्ष	योजना प्रदेश की संस्कृति का संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रचार–प्रसार में सहायक होगी।	1 वर्ष
04–स्व0 गो0ब0 पन्त लोक कला संस्थान	19.96	–	अधिष्ठान व्यय प्रदेश की लुप्तप्राय लोक गाथायें, लोक कला को संरक्षित करना। लगभग 7 लोक गाथाओं का प्रकाशन किये जाने	1 वर्ष	प्रदेश की पारम्परिक/पौराणिक लुप्तप्राय लोक कला, लोक गाथायें यथा–मालूशाही की गाथा, पाण्डव गाथा, बर्मी कमल की गाथा, सिदुवा–बिदुवा की गाथा, रमोल,	1 वर्ष

			का लक्ष्य।		स्यूराजी–भ्यूराजी बोरा की गाथा, झाकरसेन की गाथा से प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर आम जनमानस परिचित हो सकेगा।	
06–साहित्यिक कला परिषद की स्थापना	15.00	–	संस्कृति, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में अधिकतम 20 विद्वानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।	1 वर्ष	विद्वानों द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही आउटकम निर्भर होगा।	1 वर्ष
08–रंगमण्डल स्थापना	20.00	–	अधिष्ठान व्यय अभिनय कला का 5 कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर प्रशिक्षुओं को रोजगार परक बनाना। नाटकों का मंचन।	1 वर्ष	रंगमंच के क्षेत्र में अभिनय कला से कलाकार प्रशिक्षण प्राप्त कर लाभान्वित होंगे।	1 वर्ष
09–वृद्ध कलाकारों, लेखकों को मासिक पेंशन	50.00	–	प्रदेश के 200 वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों, साहित्यकारों को उनके जीवन यापन हेतु पेंशन का भुगतान।	1 वर्ष	प्रदेश के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों, साहित्यकारों को उनके जीवन यापन हेतु पेंशन भुगतान कर उनका भविष्य भी आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित रहेगा।	1 वर्ष
12–शहीद स्मारक	10.00	–	अधिष्ठान व्यय वर्तमान में सरकार द्वारा संरक्षित 3 शहीद स्मारकों का वार्षिक रख–रखाव।	1 वर्ष	शहीदों की चिर–स्मृति को जीवित रखा जा सकेगा।	1 वर्ष
13–उदय शंकर नृत्य अकादमी का संचालन	40.00	–	पं0 उदयशंकर जी की विशिष्ट कत्थक नृत्य एवं बैले नृत्य शैली की चिर स्मृति में अकादमी की स्थापना की गई है। कला के प्रदर्शन हेतु प्रेक्षागृह का निर्माण।	1 वर्ष	–	1 वर्ष
19–सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का क्रय	30.00	–	ऐतिहासिक कलाकृतियों, मूर्तियों का क्रय एवं उनका रासायनिक उपचार।	1 वर्ष	यत्र–तत्र बिखरी बहुमूल्य पुरासम्पदा को एकत्रित कर उनका संरक्षण तथा रासायनिक उपचार।	1 वर्ष
23–महान विभूतियों की वर्षगांठ का आयोजन	8.00	–	प्रदेश के सभी जनपदों में महान विभूतियों यथा– भारत रत्न पं0 गोविन्द बल्लभ पंत, स्व0 इन्द्रमणि बडोनी जी की जयन्ती का आयोजन।	1 वर्ष	महान विभूतियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुये उनके आदर्शों पर चलने हेतु आम जनमानस प्रेरित हो सकेगा।	1 वर्ष
25–कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति योजना	15.00	–	कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।	1 वर्ष	कला के क्षेत्र में कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कलाकारों को छात्रवृत्ति सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों, महाविद्यालय एवं संस्था द्वारा संस्तुत प्रार्थना पत्रों पर प्रदान की जाती है। प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही आउटकम निर्भर होगा।	1 वर्ष
32–देहरादून में ललित कला एवं संगीत नाटक अकादमी की स्थापना	10.00	–	ललित कला एकेडमी का संचालन एवं ललित कला के क्षेत्र में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को	1 वर्ष	–	1 वर्ष

			छात्रवृत्ति प्रदान करना।			
33– लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता	15.00	–	प्रकाशन– 40 लेखकों, कवियों, साहित्यकारों की कृतियां जो धनाभाव के कारण प्रकाशित नहीं हो पाती हैं, को आर्थिक सहायता प्रदान करना।	1 वर्ष	आर्थिक रूप से विपन्न लेखकों, कवियों एवं साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उनकी कृतियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता।	1 वर्ष
34– धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थायी निवासियों को आर्थिक सहायता।	3.00	–	प्रदेश के 32 स्थायी निवासियों को कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु आर्थिक सहायता।	1 वर्ष	–	1 वर्ष
35–मेला समितियों को पारम्परिक एवं अन्य मेलों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता	80.00	–	जिला प्रशासन के माध्यम से होने वाले मेलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।	1 वर्ष	100 से अधिक मेले जो उत्तराखण्ड की पहचान हैं, को वित्तीय सहायता।	1 वर्ष
36–संस्कृति के विभिन्न आयामों का आडियो एवं वीडियो अभिलेखीकरण	20.00	–	संकलन– संस्कृति के विविध रंगों, कलाविधाओं, विविध शैलियों का संकलन एवं अभिलेखीकरण कार्य। सम्बन्धित क्षेत्र में जानकारी रखने वाली 8 संस्थाओं को अभिलेखीकरण कार्य हेतु आर्थिक सहायता।	1 वर्ष	विस्तृत अभिलेखीकरण एवं संकलन। भावी पीढ़ी के लिये संरक्षित करना।	1 वर्ष
37– स्पर्श गंगा कार्यक्रम का आयोजन	40.00	–	अधिष्ठान व्यय। स्पर्श गंगा (गंगा स्वच्छता अभियान) के अन्तर्गत गंगा एवं इसकी सहयोगी नदियों को स्वच्छ बनाये रखने की गंभीर समस्या की ओर जन समुदाय का ध्यान आकर्षित करना। विद्यालयों के माध्यम से जनजागरण अभियान।	1 वर्ष	जीवन दायी गंगा एवं सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने से आम जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा गंगा एवं सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने से वृहद स्तर पर शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सकेगा।	1 वर्ष
38–बद्री–केदार उत्सव	20.00	–	चारधाम यात्रा के दौरान कपाट खुलने एवं बंद होने पर वृहद स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।	1 वर्ष	–	1 वर्ष
39–हरेला महोत्सव का आयोजन	50.00	–	प्रकृति के पर्व हरेला त्योहार सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से विभिन्न आयामों को अपने में समेटे हुये है। इस दिन प्रत्येक परिवार किसी न किसी रूप में नये पौधों का रोपण, पेड़ पौधों का संरक्षण करता है। प्रदेश के समस्त जनपदों के लगभग 7375 ग्राम सभाओं में वृक्षारोपण कर हरेला त्योहार मनाया जाता है।	1 वर्ष	पर्यावरण, वृक्षारोपण व हरियाली के प्रति जनमानस में जागृति उत्पन्न होगी।	1 वर्ष

योजना का नाम	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
	राजस्व	पूंजीगत				
40–राज्य स्तरीय लोक संगीत/लोक कला प्रतियोगिता का आयोजन	20.00	–	संस्कृति के विभिन्न आयामों लोक संगीत/लोक कला का व्यापक स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन।	1 वर्ष	लोक संस्कृति से जुड़े हुये कलाकारों का चयन किया जाता है।	1 वर्ष
41–प्रदेश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्द्धन	30.00	–	प्रदेश की अमूर्त (प्दजंदहपइसम) विरासत– रामलीला, होली, जागर, रम्माण, पाण्डवाणी आदि का संरक्षण तथा लोक भाषाओं के लिये कार्यशालाओं का आयोजन।	1 वर्ष	प्रदेश में प्रचलित लोक भाषायें उजागर हो सकें।	1 वर्ष
42–चैतुला फण्ड/चैतुला उत्सव का आयोजन	50.00	–	हिन्दू नववर्शके चैत्र माह में शुभारम्भ होने के शुभ अवसर पर होने वाले त्योहार के आयोजन हेतु।	1 वर्ष	–	1 वर्ष
43–राज्योत्सव	50.00	–	राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न जनपदों में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु।	1 वर्ष	–	1 वर्ष
44–हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र देहरादून का वार्षिक रख–रखाव	40.00	–	राज्य स्तरीय, प्रेक्षागृह एवं राज्य स्तरीय संग्रहालय, गढ़ी कैंट, देहरादून के अधिष्ठान व्यय एवं रख–रखाव हेतु।	–	–	–
45–विशिष्ट शैली/ वास्तुकला में निर्मित भवनों का संरक्षण एवं संवर्द्धन	20.00	–	पहाड़ी क्षेत्रों में विशिष्ट शैली में बने भवनों का जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं उन भवनों को उसी स्वरूप में प्रतिस्थापित करने हेतु।	1 वर्ष	विशेष वास्तु कला के लगभग 200 वर्शसे भी पूर्व के भवनों का संरक्षण। पर्वतीय वास्तु कला का विकास करने में योजना सहायक होगी।	1 वर्ष
46–उत्तराखण्डी बोली भाषा संस्थान	0.01	–	प्रदेश की गढ़वाली–कुमाऊँनी, जौनसारी, दानपुरी आदि लोक भाषाओं के संरक्षण, उन्नयन हेतु बोली भाषा संस्थान की स्थापना।	1 वर्ष	लोक भाषाओं का संरक्षण, पोषण तथा संवर्द्धन होगा।	1 वर्ष
103–पुरातत्व विज्ञान0101–पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 का कार्यान्वयन (75 प्रतिशत के0स0)	10.96	–	अधिष्ठान व्यय।पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व की मूर्तियों का रजिस्ट्रीकरण।	1 वर्ष	सुरक्षा की दृष्टि से बहुमूल्य पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व की मूर्तियों के रिकॉर्डों का विस्तृत संकलन।	1 वर्ष
103–पुरातत्व विज्ञान 03–पुरातत्व अधिष्ठान	157.13	–	अधिष्ठान व्यय। सर्वेक्षण – 397 ग्रामों का ग्राम स्तरीय पुरातात्विक सर्वेक्षण अनुरक्षण – 11 संरक्षित स्मारकों का अनुरक्षण संरक्षित किये जाने हेतु प्रस्तावित– 16 पुरातात्विक महत्व के स्थल	1 वर्ष	बहुमूल्य पुरातात्विक धरोहरों का संरक्षण, धरोहरों के मूल स्वरूप को बनाये रखना।	1 वर्ष

			रासायनिक उपचार– चित्रित शैलाशय लखुडियार, अल्मोड़ा का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विज्ञान शाखा द्वारा रासायनिक उपचार किया जाना है।			
03–राज्य अभिलेख	141.09	–	अधिष्ठान व्यय। निरीक्षण – 50 जिला कार्यालयों/तहसीलों में उपलब्ध दुर्लभ, ऐतिहासिक रिकार्डों, पुस्तकों का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण अभिलेखों को राज्य अभिलेखागार में स्थानान्तरित करना। संरक्षण – उक्त अभिलेखों का रासायनिक उपचार कर सुरक्षित रखना। प्रशिक्षण – जिला स्तरीय कार्यालयों को अभिलेखीय रख–रखाव एवं रासायनिक विधि से संरक्षित रखने हेतु 100 छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाना। शोघ कार्य – 50 शोध छात्रों को महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध कराना।	1 वर्ष	शोधार्थियों एवं भावी पीढ़ी को प्राचीन अभिलेखों एवं दुर्लभ पाण्डुलिपियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु संरक्षित किया जाना।	1 वर्ष
107–संग्रहालय 03–अधिष्ठान व्यय	112.11	–	अधिष्ठान व्यय। सर्वेक्षण – यत्र–तत्र बिखरी हुई बहुमूल्य 15 संस्कृति सम्पदा को एकत्रित करना। रासायनिक विधि से उपचार– कलाकृतियों, प्रस्तर प्रतिमाओं, प्राचीन सिक्कों, प्राचीन आभूषणों जो कि संग्रहालय में सुरक्षित हैं, का रासायनिक विधि से उपचार। संरक्षण – शोध छात्रों एवं आगन्तुकों हेतु पुरावशेषों एवं ऐतिहासिक/प्राचीन पारम्परिक महत्व की वस्तुओं को प्रदर्शित करने हेतु संरक्षित करना। प्रदर्शन – उपरोक्त बहुमूल्य उपलब्ध सामग्रियों को देश एवं विदेश से आने वाले पर्यटकों हेतु प्रदर्शित करना।	1 वर्ष	चूंकि संग्रहालय का मुख्य कार्य आम जनमानस को स्थापत्य कला, काष्ठ कला, प्रतिमा कला से परिचित कराना है। अतः आउटकम देश–विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या से प्रभावित होगा।	1 वर्ष
03–संग्रहालय भवन सम्बन्धी निर्माण	–	50.00	आर्ट गैलरी के माध्यम से आधुनिक कला, कलाकृतियों, प्रस्तर प्रतिमाओं, प्राचीन सिक्कों, प्राचीन आभूषणों का प्रदर्शन।	1 वर्ष	कलाकृतियों, प्रस्तर प्रतिमाओं, प्राचीन सिक्कों, प्राचीन आभूषणों का संरक्षण।	1 वर्ष

योजना का नाम	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
	राजस्व	पूंजीगत				
04–महान विभूतियों की मूर्तियां/शहीद स्मारक का निर्माण	–	10.00	1–उत्तरकाशी में स्व0 कमलाराम नौटियाल जी की अष्टधातु प्रतिमा स्थापित की जायेगी। 2– बेनीताल में बाबा मोहन उत्तराखण्डी का स्मृति द्वार। 3– वि0ख0चम्बा, ऋषिकेश मार्ग पर प्रथम विश्व युद्ध के सेनानायक वी0सी0 गबर सिंह स्मृति द्वारा का निर्माण। 4– घनसाली, टिहरी में विभूति संगम का निर्माण।	1 वर्ष	–	1 वर्ष
05–नेहरू हेरिटेज सेन्टर	–	30.00	नेहरू हेरिटेज सेन्टर का वार्षिक रख–रखाव। संचालन हेतु व्यय।	1 वर्ष	स्वाधीनता संग्राम में नेहरू जी के योगदान, उनके त्याग व जीवन आदर्शों तथा मार्गदर्शन से लोगों को परिचित कराना।	1 वर्ष
06–प्रेक्षागृह का निर्माण	–	200.00	देहरादून, उत्तरकाशी, रूद्रपुर, बाजपुर एवं हरिद्वार में निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु।	1 वर्ष	प्रदर्शन कला के लिए कलाकारों को स्थान एवं मंच की उपलब्धता।	1 वर्ष
07–जागर महाविद्यालय की स्थापना	–	25.00	मौखिक रूप से गाया जाने वाला पारम्परिक एवं पौराणिक गाथाओं पर आधारित विधा को जागर नाम से जाना जाता है।	1 वर्ष	इस विधा का संकलन कर संरक्षित करना।	1 वर्ष
03–सांस्कृतिक परिषद/ कला केन्द/विद्यालय/ ऑडिटोरियम आदि का निर्माण	–	44.00	प्रदर्शन कला के लिए कलाकारों को स्थान एवं मंच की उपलब्धता, चित्रकारों की चित्रकलाओं को आर्ट गैलरी तथा पुरा सम्पदा को संग्रहालय के माध्यम से जन सामान्य के अवलोकनार्थ संरक्षित करने हेतु चम्पावत, बागेश्वर में प्रेक्षागृह एवं टिहरी में विद्यालय की स्थापना।	1 वर्ष	प्रदर्शन कला के लिए कलाकारों को स्थान एवं मंच की उपलब्धता, आर्ट गैलरी तथा पुरा सम्पदा का संरक्षण।	1 वर्ष
04–हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र	–	1000.00	राज्य स्तरीय संग्रहालय एवं राज्य स्तरीय प्रेक्षागृह के अतिरिक्त पुस्तकलाय, आर्ट गैलरी, नाट्यशाला, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी से सम्बन्धित योजना सम्मिलित है, जिस हेतु हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना की गई है।	1 वर्ष	प्रदर्शन कला के लिए कलाकारों को स्थान एवं मंच की उपलब्धता, चित्रकारों की चित्रकलाओं को आर्ट गैलरी तथा पुरा सम्पदा को संग्रहालय के माध्यम से जन सामान्य के अवलोकनार्थ संरक्षित करना।	1 वर्ष

योजना का नाम	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
	राजस्व	पूंजीगत				
केन्द्र पोषित योजनायें						
102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन– 0102– अभिलेखीय सुरक्षा कोषों, पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों हेतु सहायता	10.00	–	इस योजना के अन्तर्गत 4 सरकारी, गैर सरकारी ऐसी संस्थाओं जो ऐतिहासिक धरोहर के रख–रखाव में संलग्न है, उनको अभिलेखों, दुर्लभ पुस्तकों, फोटो कॉपियर, कैमरा एवं पाण्डुलिपियों तथा ऐतिहासिक भवनों के मरम्मत इत्यादि हेतु 75 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना। उपरोक्त धनराशि हेतु राष्ट्रीय अभिलेखागार, दिल्ली द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा संस्तुत प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे जाते हैं।	1 वर्ष	अभिलेखों, दुर्लभ पुस्तकों, पाण्डुलिपियों तथा ऐतिहासिक रिकार्डों को रासायनिक विधि से उपचार कर उनका मूल स्वरूप बनाये रखने हेतु आर्थिक सहायता।	1 वर्ष
0103–क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता	10.00	–	3 सरकारी एवं गैर सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं के संग्रहालयों हेतु उनके उचित संचालन, प्रबन्धन तथा पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृतियों के संरक्षण एवं प्रदर्शन हेतु आर्थिक सहायता।	1 वर्ष	पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृतियों का संरक्षण एवं प्रदर्शन।	1 वर्ष
0110–कला एवं अन्य विधाओं से जुड़े ऐसे विपन्न कलाकारों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता	0.25	–	सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचाने वाले तथा लोक कला को जीवन्त बनाये रखने वाले 3 वयोवृद्ध लोक कलाकारों एवं उनके आश्रितों को जीवन यापन के लिए मासिक पेंशन प्रदान कर भावी पीढ़ी में लोक कला के प्रति अभिरूचि उत्पन्न कराना।	1 वर्ष	सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचाने वाले तथा लोक कला को जीवन्त बनाये रखने वाले वयोवृद्ध लोक कलाकारों एवं उनके आश्रितों को जीवन यापन के लिए मासिक पेंशन का भुगतान।	1 वर्ष

0102–क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों के उन्नयन, स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना	–	300.00	इस योजनान्तर्गत ऋषिकेश में हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना की गई है। योजना का उद्देश्य हिमालयन संस्कृति के संवर्द्धन, संरक्षण एवं प्रदर्शन किये जाने हेतु श्राईन गैलरी, आर्कियोलॉजिकल गैलरी, हैरिटेज गैलरी, परफारमिंग आर्ट गैलरी आदि का निर्माण गतिमान है।	1 वर्ष	हिमालयन संस्कृति का संवर्द्धन, संरक्षण एवं प्रदर्शन किये जाने हेतु श्राईन गैलरी, आर्कियो–लॉजिकल गैलरी, हैरिटेज गैलरी, परफारमिंग आर्ट गैलरी आदि।	1 वर्ष
0103–संग्रहालय भवन सम्बन्धी निर्माण	–	100.00	स्वामी विवेकानन्द जी की 150वीं जयन्ती की स्मृति में काकड़ीघाट, अल्मोड़ा में मूर्ति स्थापना, संग्रहालय, पुस्तकालय, ध्यान केन्द्र आदि का निर्माण।	1 वर्ष	स्वामी विवेकानन्द जी चिर स्मृति को संजोए रखना।	1 वर्ष
अनुदान संख्या–30 (राजस्व लेखा) 2205–कला एवं संस्कृति–102– कला एवं संस्कृति का सम्वर्द्धन– 02– अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–01– लोक संगीत एवं लोक नृत्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन एवं डाक्यूमेन्टेशन का कार्य	20.00	–	अनुसूचित जाति के लोक कलाकारों की उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी की कला को नई पीढ़ियों तक पहुँचाने तथा उनकी कला को जीवन्त रखने हेतु 5 अभिलेखीकरण कार्य तथा उनकी लुप्तप्राय कलाओं के प्रशिक्षण हेतु 10 कार्यशालाओं का आयोजन।	1 वर्ष	अनुसूचित जाति के लोक कलाकारों की उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी की कला को नई पीढ़ियों तक पहुँचाना।	1 वर्ष
योजना का नाम	**आउट ले**		**परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट**	**समय सीमा**	**परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम**	**समय सीमा**
	राजस्व	**पूंजीगत**				
0203–अ0जा0 के व्यक्तियों के लिये पारम्परिक वाद्य यंत्रों एवं वेश–भूषा का क्रय	25.00	–	लोक कलाकारों को लोक वाद्य, उपकरण एवं वेश–भूषा उपलब्ध कराकर उन्हें संस्कृति के प्रति अभिरूचि उत्पन्न तथा रोजगार परक बनाना।	1 वर्ष	लोक कलाकारों को लोक वाद्य, उपकरण एवं वेश–भूषा उपलब्ध कराकर संस्कृति का संरक्षित रखना।	1 वर्ष
4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–04 – कला एवं संस्कृति–800– अन्य व्यय– 03–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन	–	15.00	अनुसूचित जाति के कलाकारों को उनकी कला के प्रदर्शन हेतु उचित स्थान एवं मंच उपलब्ध कराने हेतु सांस्कृतिक भवन का निर्माण करना।	1 वर्ष	अनुसूचित जाति के कलाकारों को उनकी कला के प्रदर्शन हेतु उचित स्थान एवं मंच उपलब्ध कराकर लोक कलाओं को जीवन्त रखना है।	1 वर्ष

अनुदान संख्या–31 2205–कला एवं संस्कृति–00– 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना –02–जनजातीय कला एवं संस्कृति का अभिलेखन, संरक्षण तथा उन्नयन हेतु योजना	30.00	–	अनु0 ज0जाति के लोक कलाकारों की उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी की कला को नई पीढ़ियों तक पहुँचाने तथा उनकी कला को जीवन्त रखने हेतु अभिलेखीकरण तथा उनकी लुप्तप्राय कलाओं के प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन।	1 वर्ष	अनुसूचित जनजाति के लोक कलाकारों की उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी की कला को नई पीढ़ियों तक पहुँचाना।	1 वर्ष
03–पारम्परिक वाद्य यंत्रों एवं वेश–भूषा का क्रय	15.00	–	लोक कलाकारों को लोक वाद्य, उपकरण एवं वेश–भूषा उपलब्ध कराना।	1 वर्ष	लोक कलाकारों को लोक वाद्य, उपकरण एवं वेश–भूषा उपलब्ध कराकर उन्हें संस्कृति के प्रति अभिरूचि उत्पन्न तथा रोजगार परक बनाना।	1 वर्ष
4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 04–कला और संस्कृति 800–अन्य व्यय 02–जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में सांस्कृतिक भवन /जन मिलन केन्द्र आदि का निर्माण	–	70.00	अनुसूचित जनजाति के कलाकारों को उनकी कला के प्रदर्शन हेतु सांस्कृतिक भवन का निर्माण।	1 वर्श	अनुसूचित जनजाति के कलाकारों को उनकी कला के प्रदर्शन हेतु उचित स्थान एवं मंच उपलब्ध कराकर लोक कलाओं को जीवन्त रखना है।	1 वर्ष
योग–	**2247.16**	**1844.00**		–	–	–